टिप्पण-4 ''अव्यवहित नियोजक'' से उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में यह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी ऐसे कारखाने या स्थापना के परिसर में, जिसे यह अधिनियम लागू है या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसे संपूर्ण काम के या उसके किसी भाग के निष्पादन का भार अपने ऊपर लिया है, जो मामूली तौर पर प्रधान नियोजक के कारखाने या स्थापना के काम का भाग है, या जो ऐसे किसी कारखाने या स्थापन में किए जाने वाले काम का प्रारम्भिक या उस कारखाने या स्थापना के प्रयोजन का आनुषंगिक है, और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति आता है, जिसके द्वारा उस कर्मचारी की सेवाएं जिसने उसके साथ सेवासंविदा कर रखी है, ठेकेदार सहित प्रधान नियोजक को अस्थायी रूप से उधार या भाड़े पर दी गई है; और ठेकेदार भी शामिल है।

टिप्पण-5 ''प्रधान नियोजक'' से अभिप्रेत है:–

(क) किसी कारखाने में, कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और इसके अंतर्गत ऐसे स्वामी या अधिभोगी का प्रबंध अभिकर्ता, किसी मृत स्वामी या अधिभोगी का विधिक प्रतिनिधि और जहां कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कोई व्यक्ति कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित हुआ है वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति आता है;

(ख) भारत में किसी सरकार के किसी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी स्थापना में, ऐसी सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहां विभागध्यक्ष;

(ग) किसी अन्य स्थापना में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है;

टिप्पण-6 कारखाने/स्थापना के ''अधिष्ठाता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने/स्थापना के कामकाज पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त है और जहां उक्त कामकाज प्रबंध-अभिकर्ता को सौंपे जाते हैं वहां ऐसा अभिकर्ता कारखाने/स्थापना का अधिष्ठाता समझा जाएगा।

टिप्पण-7 ''कर्मचारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कारखाने या स्थापना में, जिसे यह अधिनियम लागू है, या उसके काम के संबंध में मजदूरी पर नियोजित है, और–

(1) जो उस कारखाने या स्थापना के किसी काम पर, या उस कारखाने या स्थापना के काम के आनुषंगिक या प्रारंभिक या उससे सम्बद्ध किसी काम पर, प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित है, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या स्थापना में किया जाता हो या अन्यत्र; अथवा

(2) जो अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या स्थापना के परिसर में या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे काम पर नियोजित है जो साधारणतया कारखाने या स्थापन के काम का भाग है या जो कारखाने या स्थापना में किए जाने वाले काम का प्रारंभिक है या उस कारखाने या स्थापना के प्रयोजन का आनुषंगिक है; अथवा

(3) जिसकी सेवाएं प्रधान नियोजक को उस व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप से उधार या भाड़े पर दी गई हैं, जिसके साथ उस व्यक्ति ने जिसकी सेवाएं इस प्रकार उधार या भाड़े पर दी गई हैं, कोई सेवा-संविदा कर रखी है;

(4) और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो कारखाने या स्थापन के या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन से या उस कारखाने या स्थापन के लिए कच्चे माल के क्रय से या उसके उत्पादों के वितरण या विक्रय से संबंधित किसी काम पर, मजदूरी पर नियोजित हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षु के रूप में नियोजित है लेकिन शिक्षु अधिनियम, 1961 या स्थापन के स्थायी आदेश के अंतर्गत शिक्षु के रूप में नियोजित नहीं है; परन्तु

(i) (भारतीय) नौसेना, सेना या वायुसेना का कोई सदस्य; अथवा

(ii) इस प्रकार नियोजित ऐसा व्यक्ति जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) (केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिमाह मजदूरी) से अधिक हो, नहीं आता;]:

परन्तु ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी (अतिकालिक पारिश्रमिक को छोड़कर) अभिदाय कालावधि के आरंभ के पश्चात (न कि पूर्व) किसी भी समय ऐसी मासिक मजदूरी जो फिलहाल 7500/-रु. है। जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे, उस कालावधि के अंत तक कर्मचारी बना रहेगा।

टिप्पण-8 ''मजदूरी'' से वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो सिी कर्मचारी को नियोजन की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो जाने पर, नकद संदत्त किया गया हो या नकद संदेय होता है और इसके अंतर्गत किसी प्राधिकृत छुट्टी की, तालाबंदी की, ऐसी हड़ताल की, जो अवैध नहीं है, या कामबंदी की किसी भी कालावधि की बाबत किसी कर्मचारी को दिया गया संदाय और अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आता है जो मास से अनधिक के अंतरालों पर दिया गया हो, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते :–

(क) नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या इस अधिनियम के अधीन संदत्त कोई अभिदाय;

(ख) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा-रियायत का मूल्य;

(ग) नियोजित व्यक्ति को ऐसे विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़ते हैं।

I.P. Delhi–2005–10,000